कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री मारुति इन्टर नेशनल, 169, सरायं मान सिंह, अलीगढ़**
प्रार्थना पत्र संख्या	**338 / 08**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-368 / 08, दिनांक 7.8.08 प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से उनके द्वारा hooks and eyes (Pant hooks) पर कर की दर जाननी चाही है ?

2. व्यापारी द्वारा प्रार्थना-पत्र में यह निवेदन किया गया है कि चूँकि Pant के hooks and eyes भी एक प्रकार के fastener हैं अत: इन पर 4% की दर से करदेयता होनी चाहिए।

3. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, अलीगढ़ जोन द्वारा अपने पत्र संख्या-1891, दिनांक 6.9.09 व असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-9, अलीगढ़ के पत्रांक-150, दिनांक 2.9.08 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है।

4. व्यापारी द्वारा पत्र दिनांक 30.3.09 द्वारा अभिलेख के आधार पर निर्णय लेने का निवेदन किया गया है।

5. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची--II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-87 निम्नवत है:-

87	Nuts, bolts, screws and fasteners that is to say-hinges, nails, rivets, cotter, cotter pins, staples, **panel pins; tel ki kuppi; files used by artisanas; Coated and bonded abrasives, jointing** materials; Fittings for doors, window and furniture including hinges-butt, piano, narrow, tee, parliament handles for locks, furniture handles, furniture knobs, drawer channel, furniture fitting, furniture hinges, furniture catchers; blue cut taks, hob-nails, stars, studs, iron heels, bullock and horse shoes and nails; chains of all kinds; all kinds of metal sections including slotted angles, shelves and accessories; rods, rails, channels and curtain fittings; tower bolts, handles, aldrops, window stay, gate hook, door stopper, brackets, card clamp, clips, corners, washers, eyelets, **hooks and eyes**, hangers, hasps, pegs, pelmet fittings, sliding door fittings,stoppers, suspenders, springs, magic eyes, trolley wheels, pulleys and holdfasts; wire brushes.

6. मेरे द्वारा पत्रावली, प्राप्त आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। पाया गया कि fastener व hooks and eyes दो विभिन्न वस्तुएं हैं। नोटिफिकेशन संख्या-102, दिनांक 15.1.09 द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची--II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-87 में संशोधन करते हुए hooks & eyes को सम्मिलित कर दिया गया है। अत: दिनांक 15.1.09 पश्चात hooks & eyes पर 4% करदेयता रहेगी, परन्तु दिनांक 15.1.09 के पूर्व उक्त पर 12.5% की दर से करदेयता रहेगी।

<u>सर्वश्री मारुति इन्टर नेशनल / प्रा0 सं0-338 / 08 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

7. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

8. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 9, दिसम्बर, 2009

ह0 /- 9.12.09

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कमिश्नर वाणिज्य कर
धारा-59
अनुभाग
उ०प्र० लखनऊ

प्रमाणित प्रतिलिपि